225

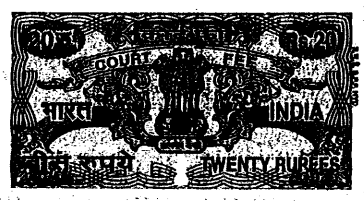

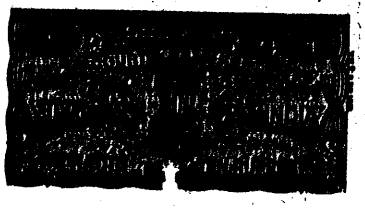

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 245 /2017 जिला–शिवपुरी R 245 /17

श्री .... द्वारा आज दि 18.1.17 को प्रस्तुत
18-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कलुआ सेहर पुत्र श्री पचना सेहर निवासी– ग्राम टाला पहाड़ी तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 205/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 02.09.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश, अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही तथा आवेदक को सुनवाई का विधिवत् अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। कि उसके स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम खजरा के सर्वे क्रमांक 1011 रकवा 5.11 है0 में से 3.00 है0 भूमि विक्रय करने की अनुमति चाही है। तथा अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि उसकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है, पत्नी का देहांत हो गया है। और उसकी कोई संतान नहीं है विवादित भूमि उसके निवास के स्थान से 10 किलोमीटर दूरी पर बीहड़ में स्थित है अतः भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। इस संबंध में कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 245/दो/2017 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 205/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 02.09.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम खजरा के सर्वे क्रमांक 1011 रकवा 5.11 है0 में से 3.00 है0 भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जो आदेश दिनांक 06.09.2011 से निरस्त कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थीं। जो पारित आदेश दिनांक 02.09.2014 से स्वीकार की जाकर भूमि विक्रय की सम्पूर्ण राशि आवेदक के खाते में जमा कराये जाने एवं उसे 10,000/– रूपये प्रतिमाह उपभोग के लिये आहरण किये जाने की शर्त के साथ विक्रय अनुमति दी है। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला शिवपुरी को प्रस्तुत किया था। जो आदेश दिनांक 06.09.2011 से निरस्त कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थीं। जो	

आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 02.09.2014 से स्वीकार कर भूमि विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ दी है। कि सम्पूर्ण विक्रय धन आवेदक के खाते में जमा कराये जाये और उसे 10 हजार रूपये प्रतिमाह उपभोग के लिये आहरण करने का अधिकार होगा। जबकि आवेदक की राशि पर किसी तरह की शर्त लगाया जाना विधिवत् नही है क्योंकि उसके सवैधानिक अधिकारो के विरूद्व होने से स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आयुक्त न्यायालय के आदेश में मात्र यह शर्त विलोपित की जाये। कि ''उप पंजीयक दस्तावेज पंजीकरण करने के पूर्व सम्पूर्ण विक्रय धन आवेदक के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराये जाये तथा उक्त राशि में से अधिकतम 10 हजार रूपये प्रतिमाह आवेदक के उपयोग के लिये आहरण करने का अधिकार होगा।'' उक्त शर्त को विलोपित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में आंशिक संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

5– अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो अदेश पारित किया है, उसे स्थिर रखा जाये एवं वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ग्राम खजरा कि भूमि सर्वे क्रमांक 1011 रकवा 5.11 है0 भूमि में से केवल 3.00 है0 भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गयी थी। जो कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा नही दी गयी थी। जबकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया था कि उसकी आयु लगभग 60 वर्ष है कोई सन्तान नहीं है तथा पत्नी का पूर्व में देहांत हो गया है। तथा उसकी भूमि निवास स्थान से 10 किलोमीटर

भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। इस संबंध में तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने जॉच अनुशंसा प्रतिवेदन दिये गये थे। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। क्योंकि उपरोक्त भूमि विक्रय किये जाने से आवेदक भूमिहीन नहीं होगा। बल्कि उसके पास रकवा 2.11 है0 भूमि शेष बचेगी। उपरोक्त स्थिति पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा भूमि के विक्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त के आधार पर दी है कि ''उप पंजीयक दस्तावेज पंजीकरण करने के पूर्व सम्पूर्ण विक्रय धन आवेदक के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराये जाये तथा उक्त राशि में से अधिकतम 10 हजार रूपये प्रतिमाह आवेदक के उपयोग के लिये आहरण करने का अधिकार होगा।'' अब वर्तमान में आवेदक की आयु 62 वर्ष है और वह अधिकतर बीमार रहता है ऐसी स्थिति में उसे अपने इलाज के लिये रूपयो की महती आवश्यकता है ऐसी स्थिति में उसकी राशि पर शर्त अधिरोपित किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। तथा उसके संवैधानिक अधिकारो के विरूद्ध है ऐसी स्थिति में उपरोक्त शर्त को विलोपित किये जाने का आदेश दिये जाते है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 205/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 02.09.2014 को मान्य करते हुये आदेश में उल्लखित शर्त कि ''उप पंजीयक दस्तावेज पंजीकरण करने के पूर्व सम्पूर्ण विक्रय धन आवेदक के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराये जाये तथा उक्त राशि में से अधिकतम 10 हजार रूपये प्रतिमाह आवेदक के उपयोग के लिये आहरण करने का अधिकार होगा।'' उक्त शब्द विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य